झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: *संकल्प* ::

श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–776/03 गृह जिला– राँची), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया, गुमला, सम्प्रति– मृत के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक–10903, दिनांक 07.12.2007 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध सरकारी राशि का गबन/दुरूपयोग, सरकारी वाहन का दुरूपयोग, रोकड़–पंजी के संधारण में वित्तीय अनियमितता, मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति रहने एवं आदेश की अवहेलना एवं पद का दुरूपयोग करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय संकल्प संख्या–738, दिनांक 08.02.2008 द्वारा श्रीमती मिंज के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। विभागीय जाँच पदाधिकारी के पत्रांक–129, दिनांक 19.07.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें आरोपों को प्रमाणित पाया गया। विभागीय जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प सं0–2129, दिनांक 28.02.2014 द्वारा इनके विरूद्ध चार वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती मिंज द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसके समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक–10977, दिनांक 17.11.2014 द्वारा अस्वीकृत किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्रीमती मिंज द्वारा माननीय उच्च न्यायाल झारखण्ड में W.P.(S) No. 6697/2014 दायर किया गया। उक्त वाद में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2023 को पारित आदेश में विभागीय संकल्प सं0–2129, दिनांक 28.02.2014 द्वारा अधिरोपित चार वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड एवं विभागीय पत्रांक–10977, दिनांक 17.11.2014 द्वारा अपील अभ्यावेदन अस्वीकृत से संबंधित निर्गत आदेश को रद्द कर दिया गया। उक्त न्यायादेश का Operative Part निम्नवत् है–

"Accordingly, on the basis of discussions made hereinabove, this Court is of the view that the impugned order of punishment requires interference and hence order dated 28.02.2014 passed by the disciplinary authority as also appellate order dated 17.11.2014 are hereby quashed and set aside.

In consequence thereof, the respondents-State are hereby directed to calculate the difference of arrears of salary and pensionary/retiral benefits and release the same in favour of legal heirs of the deceased-employee within a period of three months from the date of receipt/production of copy of this order."

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.06.2023 को पारित आदेश के आलोक में श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बसिया, गुमला, सम्प्रति–मृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0–2129, दिनांक 28.02.2014 द्वारा

अधिरोपित चार वेतनवृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक के दण्ड एवं विभागीय पत्रांक–10977, दिनांक 17.11.2014 निर्गत आदेश को रद्द किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती नमिता नलिनी मिंज (बाखला), कार्यपालक दण्डाधिकारी, खूँटी एवं अन्य संबंधितों को भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

21/12/23

(रंजीत कुमार लाल)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–5/आरोप–1–435/2014 का०– 7172/ राँची, दिनांक 22 दिसम्बर, 2023

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/प्रमंडलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची/उपायुक्त, गुमला/उप सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विशेष कार्य पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–3 एवं 4/उप सचिव, वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, झारखण्ड, राँची/विभागीय अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–6/विभागीय अवर सचिव, प्रशाखा–5/श्रीमती नमिता नलिनी बाखला, झा०प्र०से०, सम्प्रति–मृत, पता– द्वारा–श्री विजय प्रवीण बाखला, शान्तिनगर, ओल्ड हजारीबाग रोड, राँची, पिन–834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/12/23

सरकार के संयुक्त सचिव।